

डिक्री व मुकदम ईवादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संज्ञिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 450/2025

सुरेन्द्र पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जाति जाट नि.ढावां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुभाष पुत्र स्व. श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुनील कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द जाति जाट नि.ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. राकेश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द जाति जाट नि. ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. गीता रानी पुत्री श्री सुभाषचन्द जाति जाट नि.ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज)
6. सरिता पुत्री श्री आत्माराम जाति जाट निवासी ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनांकिनाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर वैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया
के चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 8/4 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2/3 हिस्सा
अर्थात् 4.1613 है. कृषि भूमि में से वादी सुरेन्द्र को 2.024 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं.
3 सुनील को 1.1253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 राकेश को 1.012 है. कृषि
भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन
आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद
किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसबां मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2025 को जारी
किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया